कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर

–संशोधित आदेश–

क्रमांक / 740 /एस.डब्ल्यू./2020 जबलपुर, दिनांक 22 मार्च, 2020.

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने हेतु जबलपुर जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक/738/एस.डब्ल्यू/2020 जबलपुर दिनांक 21.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं भरत यादव, जिला मजिस्ट्रेट, जिला जबलपुर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत् पूर्व में इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 2079/एस.डब्ल्यू./2020 जबलपुर दिनांक 05.03.2020 के बिन्दुओं के साथ–साथ जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान–माल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे–दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि सेवाओं को छोड़कर समस्त शासकीय/अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं आगामी चार दिवस और (23.03.2020 से 26.03.2020) के लिये पूर्णतः बंद रहेगीं। आदेश क्रमांक 39/क्षे. प.अ./2020 दिनांक 21.03.2020 के माध्यम से समस्त बस सेवाओं/संचालन को आगामी चार दिवस के लिये और प्रतिबंधित किया गया है।

अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों मे तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावें।

यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 22.03.2020 को जारी किया गया।

22/03/2020
(भरत यादव)
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

Scanned with CamScanner